अर्द्धशा 0डीजी परिपत्र संख्या-51/2014

ए0एल0बनर्जी,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकः लखनऊः अगस्त 16,2014

प्रिय महोदय,

आप अवगत है कि धारा 354-A(1) भादंवि के अनुसार कोई व्यक्ति जो निम्न में से कोई आचरण करता है, वह Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013 के अनुसार यौन शोषण करने का अपराधी होगा ;

(i) शारीरिक सम्पर्क करना या ऐसी अशोभनीय यौन प्रक्रिया का प्रदर्शन करता है; या

(ii) यौन सम्पर्क के लिए इच्छा जाहिर करना या निवेदन करता है; या

(iii) महिला की इच्छा के विरूद्ध अश्लील साहित्य का प्रदर्शन करता है; या

(iv) यौन सम्बन्धी भद्दे इशारे/अभिकथन करता है,

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण के अपराधों को रोकने के लिए वर्ष 2013 में, Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013 लागू किया गया है। इस अधिनियम के मुख्य अंश निम्न प्रकार हैं:-

(1). यह अधिनियम Sexual Harassment at the Workplace Act 2013 कहा जायेगा, जो पूर्ण रूप से ऐसे मामलों को रोकने के लिए मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य के निर्णय से सम्बन्धित निर्देशों को आधार मानते हुए और विस्तृत किया गया है।

यौन शोषण में निम्नलिखित अवांछनीय कार्य या व्यवहार (चाहे सीधे तौर पर या संकेतिक तौर पर) सम्मिलित होंगें।

(i) शारीरिक सम्पर्क और अग्रसरण; या

(ii) यौन सम्पर्क के लिए मॉग या अनुरोध करना; या

(iii) लैंगिक रूप से भद्दी टिप्पणी करना; या

(iv) अश्लील साहित्य दिखाना; या

(v) कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक लैंगिक प्रकृति का आचरण।

यौन उत्पीड़न का निवारण- Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013 की धारा 3(Λ) में महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारण का प्राविधान दिया गया है। उक्त प्रविधानों के अनुसार

(1) कोई भी महिला किसी भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़ित नहीं की जाएगी।

(2) निम्नलिखित परिस्थितियों में, यदि यौन उत्पीड़न घटित होता है या निम्न कृत्य किये जाते हैं, तो वह कृत्य यौन उत्पीड़न के अर्थ में आ आएगाः

(a) उसके नियोजन में प्राथमिकता पूर्ण व्यवहार करने का संकेतिक या स्पष्ट वादा करने का कार्य ; या

(b) उसने नियोजन में हानिकारक व्यवहार की संकेतिक या स्पष्ट धमकी देने का कार्य; या

(c) उसके वर्तमान अथवा भावी नियोजन की हैसियत के विषय में संकेतिक या स्पष्ट धमकी देने का कार्य; या

(d) उसके कार्य में दखलंदाजी करने या उसके लिए संभाषकारक (intimidating) या आक्रामक या प्रतिकूल कार्य-वातावरण तैयार करने का कृत्य; या

(e) उसके स्वास्थ्य या संरक्षा को प्रभावित करने वाला अप्रतिष्ठाकर व्यवहार करना।

(2). **"पीड़ित महिला"** की परिभाषा, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत काफी विस्तृत की गयी है, के अनुसार किसी आयु या नियोजन स्तर पर, संगठित अथवा असंगठित क्षेत्र अथवा सरकारी या गैर सरकारी कार्यस्थल पर सभी महिला Clients, ग्राहक और घरेलू कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मिलित करती है।

(3). **"कार्य क्षेत्र"** के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य के निर्णय से सम्बन्धित निर्देश सिर्फ कार्यालय व्यवस्था, नियोजक एवं नियोक्ता के सम्बन्धों तक सीमित थे किन्तु इस अधिनियम में इसको विस्तृत करते हुए सरकारी, गैर सरकारी क्षेत्र, संगठित और असंगठित, अस्पताल, नर्सिग होम, शिक्षण संस्था, खेलकूद की सम्बन्धी संस्थायें, स्टेडियम, खेलकूद सम्बन्धी परिसर और कोई अन्य जगह जहॉ महिला कर्मी अपने कार्य अथवा आवागमन के लिए जाती है, से सम्बन्धी विभाग, कार्यालय, शाखा इकाई आदि को भी ''कार्यक्षेत्र'' में सम्मिलित किया गया है।

(4). **"नियोक्ता"** की परिभाषा के अन्तर्गत राजकीय विभाग, संगठन, संस्था, शाखा, इकाई का प्रमुख अथवा प्रबन्ध(Management), पर्यवेक्षण, कार्य क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति तथा अपने नियंत्रण में कार्य करने वाली महिलाओं का ठेकेदार तथा घरेलू कामकाजी महिलाओं के सम्बन्ध में वह व्यक्ति भी आता है, जो इन कार्यो से लाभान्वित होता हो।

(5). अधिनियम में पीड़िता के हित के लिए बनायी गयी संस्थाओं में आईसीसी (Internal Complaints Committee) व एलसीसी (Local Complaints Committee) का प्राविधान किया गया है। ऐसे कार्यस्थल जिसमें 10 व 10 से अधिक लोग कार्य करते हैं, आईसीसी के अन्तर्गत आयेंगें। आईसीसी 04 सदस्यों की समिति होगी, जिसकी प्रमुख कार्य करने वाली महिलाओं में से वरिष्ठ महिला होगी। इस समिति

के अन्य सदस्यों में वहॉ कार्य करने वाली महिलाओं में से जो महिलाओं के हित के लिए समर्पित हो तथा सामाजिक व विधिक ज्ञान रखती हों तथा एक एनजीओ आदि से सम्बन्धित महिला होगी।

(6). <u>स्थानीय शिकायत समिति का गठन और कार्यक्षेत्र</u>-

(i) जहॉ दस से कम कर्मचारी होने के नाते "आन्तरिक शिकायत समिति" का गठन नहीं किया गया है, उनसे यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जिला अधिकारी सम्बन्धित जिले में एक समिति का गठन करेगा जिसे "स्थानीय शिकायत समिति" के रूप में जाना जाएगा।

(ii) जिला अधिकारी ग्रामीण जनजातीय क्षेत्र में प्रत्येक विकास खण्ड, तालुका और तहसील में और शहरी क्षेत्र में वार्ड या नगरपालिका में शिकायत प्राप्त करने और सात दिन के भीतर एक पार्विक (नोडल) अधिकारी नामित कर सकता है।

(iii) स्थानीय शिकायत समिति का अधिकार क्षेत्र जिले के क्षेत्रों में होगा जहॉ इसका गठन किया गया है।

(7). **स्थानीय शिकायत समिति का संगठन, कार्यकाल और अन्य नियम एंव शर्ते**- (1) स्थानीय शिकायत समिति में जिला अधिकारी द्वारा नामित निम्नलिखित सदस्य होगें ;

(a) **अध्यक्ष**- सामाजिक कार्य क्षेत्र में अग्रगण्य (eminent) महिलाओं में से महिलाओं के कल्याण के लिए समर्पित व्यक्ति में से नामित किया जाएगा;

(b) **सदस्य**-जिले में खण्ड, तालुका या तहसील या वार्ड या नगरपालिका में कार्यरत महिलाओं में से एक नामित किया जाएगा;

(c) ऐसे गैर सरकारी संगठनों या संघो, जो महिलाओं के कल्याण के लिए समर्पित हो में से दो सदस्य जिनमें कम से कम एक महिला हो या एक व्यक्ति जो यौन उत्पीडन से संबंधित मुद्दे से अवगत हो, को नामित किया जाएगा;

(i) परन्तु नामितों में से कम से कम एक की पृष्ठभूमि विधिक ज्ञान के क्षेत्र में होनी चाहिए ;

(ii) नामितों मे से कम से कम एक महिला अनुसूचित जाति या जनजाति से या अन्य पिछडा वर्ग या केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अल्पसंख्यक से होनी चाहिए।

(d) **सदस्य**- जिले में सामाजिक कल्याण या महिला एवं बाल विकास का कार्य देखने वाला सम्बन्धित अधिकारी पदेन सदस्य होगा।

(2) स्थानीय समिति का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपनी नियुक्ति की तिथि से, ऐसी अवधि के लिए पद पर रहेगा, जो तीन वर्ष से अनधिक होगी अथवा जैसा जिला अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

(3) स्थानीय शिकायत समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के निस्तारण के संबंध में यह प्रावधान है कि अध्यक्ष या स्थानीय शिकायत समिति का कोई सदस्य-

(a) धारा 16 प्रावधानों का उल्लंघन करता है; या

(b) किसी अपराध के लिए सजा प्राप्त है या किसी विधि के अधीन किसी अपराध में उनके विरूद्ध जॉच लम्बित है; या

(c) किसी अनुशासनिक कार्यवाही में दोषी पाया गया है या उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित है; या

(d) अपने पद का उसके द्वारा ऐसा दुरूपयोग किया गया हो कि उसका पद पर बने रहना सार्वजनिक हित के लिए पक्षपात पूर्ण होगा, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को समिति से निकाल दिया जाएगा और इस तरह उत्पन्न हुई रिक्ति या आकस्मिक रिक्ति इस धारा के प्रावधानों के अनुसार ताजा नामन (Nomination) से की जाएगी।

(4) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) और (घ) के अधीन नामित सदस्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष और स्थानीय समिति के सदस्य स्थानीय समिति की कार्यवाईयों में भाग लेने के लिए ऐसे शुल्क या भत्तों के पात्र होगें जैसा निर्धारित किया जाए।

(8). यौन शोषण की शिकायत 03 माह की समय सीमा के अन्दर की जानी चाहिए। यह अवधि 03 महीने तक और बढ़ाई जा सकती है यदि महिला यह सिद्व कर दे कि गम्भीर परिस्थितियों के कारण वह समय के अन्दर ऐसा नहीं कर सकी है।

(9). अधिनियम में परामर्श का भी प्राविधान है। आईसीसी (Internal Complaints Committee) व एलसीसी (Local Complaints Committee), पीड़ित महिला व प्रतिवादी के बीच विवाद को हल करने के लिए ऐसा कदम उठा सकती है परन्तु यह तब ही किया जायेगा जब महिला ने ऐसा अनुरोध किया हो। अधिनियम में धन का लेन-देन करके निपटाये जाने वाले मामले परामर्श के अन्तर्गत नहीं आयेंगें। यदि निस्तारण की शर्तो का पालन प्रतिवादी द्वारा नहीं किया जाता है तो शिकायतकर्ता पुनः समिति में जा सकता है, तो जॉच की कार्यवाही करेगी।

(10). यदि समिति द्वारा प्रथम दृष्टया यौन शोषण होना पाया जाता है तो वह 07 दिन के अन्दर पुलिस को मुकदमा लिखने के लिए शिकायत भेज देगी। अन्य मामलों में समिति 90 दिन के अन्दर जॉच पूरी करेगी। जॉच रिपोर्ट नियोक्ता अथवा जिलाधिकारी को भेजी जायेगी, जो इस पर 60 दिन के अन्दर कार्यवाही करेगा।

(11). ऐसी परिस्थितियों में जब शिकायत सही सिद्व होती है, तो समिति प्रतिवादी पर लागू होने वाले सेवा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही के लिए संस्तुति कर सकता है। जहॉ ऐसे नियम लागू न होते हों, समिति प्रतिवादी के वेतन से समुचित धनराशि की कटौती कर सकती है या धनराशि के भुगतान के लिए प्रतिवादी को कह सकती है।

(12). यदि प्रतिवादी के विरूद्व आरोप सिद्व नहीं होता तो समिति नियोक्ता/जनपद स्तर के अधिकारी को लिख सकती है कि किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(13). झूठी अथवा भ्रामक शिकायत पर अधिनियम में सेवा नियमों के अन्तर्गत जुर्माने का प्राविधान है। यह झूठी तथा भ्रामक शिकायत पर रोक लगाने के लिए है। शिकायत सिद्व करने में मामूली असफलता पर जुर्माने का प्राविधान नहीं होगा।

(14). पीड़ित महिला को Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013 अधिनियम जॉच के दौरान अवकाश अथवा स्थानान्तरण की सुविधा देता है।

(15). अधिनियम में पीड़ित महिला, प्रतिवादी एवं साक्षियों की पहचान और पते को गुप्त रखने का प्राविधान है। यौन शोषण की पीड़िता को मिलने वाले न्याय की जानकारी उसकी पहचान को गुप्त रखते हुए दी जायेगी।

(16). अधिनियम प्रत्येक नियोक्ता पर इस बात का उत्तरदायित्व देता है कि वह यौन शोषण से मुक्त वातावरण बनाये रखे। नियोक्ताओं से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे इस हेतु जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करें तथा नोटिस बोर्ड पर ऐसी सूचना भी अंकित कर दें।

(17). घरेलू कामकाज की महिला के मामलें में उसकी सेवा की स्थिति का विचार करते हुए अलग ढंग से कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था है। घरेलू कामकाजी महिला शिकायत करने के लिए एलसीसी (Local Complaints Committee) से सम्पर्क स्थापित करेगी। यदि शिकायतकर्ता चाहे तो परामर्श के माध्यम से मामले को निस्तारित किया जा सकता है। अन्य मामलों में यदि शिकायत प्रथम दृष्टया सिद्व होती है तो एलसीसी (Local Complaints Committee) शिकायत को पुलिस को सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने तथा अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु भेज सकती है।

(18). अधिनियम में इस बात की व्यवस्था है कि राज्य सरकार अपने क्षेत्र में सरकारी प्रतिष्ठानों एवं प्राइवेट प्रतिष्ठानों से सम्बन्धित मामलों में कार्यवाही का पर्यवेक्षण करेगी तथा इसके अभिलेख रखेगी। केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठानों में यह उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार का होगा। सभी आईसीसी (Internal Complaints Committee) को अपनी वार्षिक रिपोर्ट नियोक्ता को प्रस्तुत करनी होगी, जो जनपद स्तर के अधिकारी को भेजेगी। सभी एलसीसी (Local Complaints Committee) अपनी वार्षिक रिपोर्ट जिला स्तर के अधिकारी को भेजेगी। जिला स्तर का अधिकारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट को राज्य सरकार को भेजेगा।

(19). जनपद प्रभारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि जनपद में प्रति माह की जाने वाली अपराध गोष्ठी में Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013 प्राविधानों से समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को समुचित रूप से संज्ञानित कराकर उक्त अधिनियम में वर्णित प्राविधानों से भली-भॉति अवगत करा दें।

भवदीय,

(ए0एल0बनर्जी) 16/08/14

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उ0प्र0 (नाम से)।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषितः-

1.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
2.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।